

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14-08-2026

क्र. **ESTB-106/13/2025-REVENUE**:: राज्य शासन एतद् द्वारा जिलों में पदस्थ नायब तहसीलदारों को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम-8 के उप-नियम (6) के तहत निम्नांकित नायब तहसीलदारों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये कॉलम-4 में अंकित तिथि से परिवीक्षा अवधि समाप्त करते हुए स्थाईकरण करता है:-

स. क्र.	नायब तहसीलदार का नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	परिवीक्षा अवधि समाप्त करने की तिथि
1	2	3	4
1	श्री मोहित कुमार अमीला	18-02-2020	17-02-2022
2	श्री अब्दुल वसीम सिद्दीकी	12-02-2020	01-08-2022
3	श्री राजेश कुमार नेताम	22-05-2020	21-05-2022
4	श्री सौरभ कश्यप	27-05-2020	26-05-2022
5	श्री शांतनु तारम	30-05-2020	19-10-2022

2/ नायब तहसीलदारों के द्वारा किसी विषय में विभागीय/सर्वे परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने, विभागीय जांच/अपराधिक प्रकरण होने पर स्थायीकरण आदेश स्वमेव शून्य माना जावेगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(धनंजय नेताम)

अवर सिचव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन

पृ. क्र. **ESTB-106/13/2025-REVENUE** नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14-08-2026
प्रतिलिपि:-

- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर,
- महालेखाकार, छत्तीसगढ़ जीरो प्वाइंट, रायपुर,

3. संभागायुक्त, संभाग रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग (छ.ग.),
 4. कलेक्टर, जिला- रायपुर/महासमुन्द/मुंगेली/राजनांदगांव/मुंगेली (छ.ग.)
 5. कोषालय अधिकारी, जिला-रायपुर/महासमुन्द/मुंगेली/राजनांदगांव/मुंगेली (छ.ग.)
 6. संबंधित श्री/श्रीमती.....नायब तहसीलदार,
जिला.....(छ.ग.).
 7. आदेश फोल्डर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन